

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/29

जयपुर, दिनांक:- 12/4/18

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (1) एवं अधिसूचना क्रमांक प. 5 (21) राज-4/80/35 दिनांक 04.09.1982 यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक प. 5 (21) राज-4/80/18 दिनांक 25.07.2003 के तहत नामान्तकरण के मामलों को निर्णित करने की ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018 के दौरान उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह अधिसूचना दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12/4/18 में प्रकाशित हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्र: मर्ल।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प0 6(1)राज-6/2014/पार्ट-1/30

जयपुर, दिनांक:- 12/4/18

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप-धारा (1) सपठित धारा 260 उप-धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में उपखण्ड अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं शक्तियों का, संबंधित जिला कलक्टरों के निर्देश पर राज्य के समस्त जिलों में कार्यरत सहायक कलक्टरों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार के भीतर प्रयोग किया जायेगा।

यह अधिसूचना दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामनिवास जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व।
5. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दिनांक 12/4/18 में प्रकाशित हेतु।
9. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
11. निदेशक, जनसम्पर्क, राजस्थान को प्रेस रिलीज हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प:-6(25)राज-6/2015/31

जयपुर, दिनांक:- 24-04-18

:- अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं. 15 वर्ष 1956) की धारा 260 की उप धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, तथा लोकोपयोगी प्रयोजन के अन्य भवनों के निर्माण हेतु अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के संबंध में जारी इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(109) राजस्व-ब/60 दिनांक 20.7.1963 के खण्ड 1 के द्वितीय परन्तुक में वर्णित किस्म की भूमियों (माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिबंधित भूमियों को छोड़कर) का आवंटन केवल राजकीय विभागों को उक्त आदेश के खण्ड 4 में वर्णित आवंटन प्राधिकारी द्वारा खण्ड 2 में निर्धारित आवंटित किये जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्र तक उक्त आदेश व संबंधित नियमों के अध्याधीन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 30.06.2018 तक किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 24-4-18 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (गुप-6) विभाग


कम स. प.9(15) राज-6/2005/पार्ट/32

जयपुर, दिनांक: 24-04-18

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 18 के उप-नियम (4) के परन्तुक में जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या नगर निगम या नगर परिषद के नगरीय सीमा या उपांत पट्टी में सम्मिलित कर ली गई भूमियों पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन की शक्तियों का प्रयोग संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार-2018 की अवधि के दौरान उनके क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित नियमों के अनुसार किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री राजस्व विभाग (स्वतंत्र प्रभाव)
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
9. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
10. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय जयपुर।
11. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 24-04-18 में प्रकाशन हेतु।
12. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग


पत्रांक: 1(43) राज.-6/16/33

जयपुर, दिनांक 24-04-18

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 20 खण्ड (ख) का उपखण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जिन्हें कार्मिक (क-4) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 1(3) कार्मिक/क-4/2017, दिनांक 15.03.2018 के द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों में सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षण) के पद पर पदस्थापित किया गया है, को सहायक कलक्टर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (सर्वश्री / सुश्री / श्रीमती)	फील्ड प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1.	अनिल कुमार सिंघल	धौलपुर
2.	देवयानी	झुंझुनू
3.	सुखा राम	प्रतापगढ
4.	प्रशान्त शर्मा	राजसमन्द
5.	प्रमोद सिरवी	पाली
6.	हवाई सिंह यादव	दौसा
7.	अशोक कुमार	हनुमानगढ
8.	रमेश कुमार	जालौर
9.	देवेन्द्र सिंह परमार	भरतपुर
10.	महावीर	जोधपुर
11.	पुष्पा कंवर सिसोदिया	जोधपुर
12.	विकास पंचोली	बून्दी
13.	राम कुमार वर्मा	बीकानेर
14.	मुकेश कुमार मीणा	करौली
15.	महीपाल सिंह	उदयपुर




16	संजय गौयल	हनुमानगढ
17.	दिपांशु सांगवान	अजमेर
18.	मुकेश चौधरी	कोटा
19.	अंशुल सिंह	उदयपुर
20.	आकांशा बैरवा	बाडमेर
21.	राम निवास बुगालिया	सिरोही
22.	वीरमा राम	बांसवाडा
23.	अभिषेक चारण	डूंगरपुर
24.	पवन कुमार	अलवर
25.	सुनीता यादव	भीलवाडा
26.	राहुल सैनी	कोटा
27.	समदर सिंह भाटी	पाली
28.	प्रियंका तलानिया	गंगानगर
29.	निशा सहारण	जयपुर
30.	मनीषा लेघा	चूरु
31.	दिनेश विश्णोई	पाली
32.	केशव कुमार मीना	झालावाड
33.	सुमन सोनल	जैसलमेर
34.	पिंकी मीणा	टोंक
35.	हर्षित वर्मा	अजमेर
36.	मनोज कुमार वर्मा	सवाई माधोपुर
37.	अमित कुमार वर्मा	करौली
38.	निधि सिंह	अलवर
39.	संजू मीणा	अलवर
40.	सन्तोष कुमार मीणा	बारां
41.	बृजेन्द्र मीणा	सीकर

(Handwritten signature)

42.	रामवतार मीणा	भीलवाडा
43.	निधि चौहान	जयपुर
44.	हीना कल्ला (Blind)	जोधपुर
45.	बिन्दु बाला राजावत	चित्तौड़गढ़
46.	नीलम लखारा	उदयपुर
47.	शीलावती मीणा	सीकर
48.	बिन्दु खत्री	नागौर


राज्यपाल की आज्ञा से,


(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक**24-04-2018**..... प्रकाशन हेतु।
11. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
12. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
13. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव